



क्रमांक: एफ 40(79)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स-आंगनबाड़ी/2014 (पार्ट-1)

जयपुर, दिनांक:

20 APR 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस,
एवं जिला कलक्टर,
अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़,
दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुन्झुनू, जोधपुर, टोंक,
करोली, कोटा, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण बाबत।

प्रसंग:- समसंख्यक पत्र दिनांक 10.11.2015, 24.02.2016, 29.03.2016 एवं निदेशक, ICDS का पत्र क्रमांक एफ 11(2)मो/मनरेगा कन्वर्जेन्स/आईसीडीएस/2015-16/43108 दि. 30.03.2016।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के महिला एवं बाल विकास विभाग की आईसीडीएस योजना के साथ कन्वर्जेन्स कर बनाये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश भिजवाये गये हैं।

निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 30.03.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कन्वर्जेन्स के तहत 19 हाईबर्डन जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों को 1385 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त की राशि रु. 1.00 लाख उनके पीडी खाते में हस्तान्तरित कर दी गई है। उक्त पत्र की प्रति आपको भी पृष्ठांकित है।

कृपया आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु आवश्यक स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा कर ICDS के साथ कन्वर्जेन्स के तहत बनने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अविलम्ब प्रारम्भ करावे।

भवदीय

(रोहित कुमार)

आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. श्री रिंकु, एम.आई.एस. मैनेजर, कार्यालय हाजा को ईमेल करने एवं वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

परि.निर्देश एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस